हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

टेलीफोन..: 011-24648160

वैबसाइट : www.hudco.org.in ई-मेल आईडी : cswhudco@hudco.org

सीआईएन : L74899DL1970GOI005276

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) की 55वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे (आईएसटी) हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय

1. **31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (एकल और समेकित), निदेशक मंडल की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करना और उन्हें अपनाना तथा इस संबंध में, निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो इन संकल्प को संशोधन अथवा संशोधन के बिना ही, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:**

   "संकल्प" लिया गया है कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (एकल और समेकित) तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां, जैसा कि सदस्यों को परिचालित किया गया है, पर एतद्द्वारा विचार किया जाता है और उन्हें अपनाया जाता है।"

2. **बोर्ड द्वारा संस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10.50% (प्रति इक्विटी शेयर 1.05 रुपये) की दर से अंतिम लाभांश घोषित करना और क्रमशः 20.50% और 10.50% (प्रति इक्विटी**

शेयर 2.05 रुपये और 1.05 रुपये) की दर से प्रथम और द्वितीय अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना, और इस संबंध में, निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो इस संकल्प को संशोधन अथवा संशोधन के बिना ही, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प" लिया गया है कि प्रथम और द्वितीय अंतरिम लाभांश 20.50% और 10.50%, अर्थात क्रमशः 2.05 रुपये और 1.05 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और अंतिम लाभांश 10.50%, अर्थात 1.05 रुपये प्रति इक्विटी शेयर, कुल मिलाकर निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 41.50%, अर्थात 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर 4.15 रुपये की पुष्टि एवं अनुमोदन किया जाता है।

3. **श्री एम. नागराज (डीआईएन:05184848), निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग), जो इस वार्षिक सामान्य बैठक में आवर्तनुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखते हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, उन्हीं नियमों व शर्तों पर जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अनुमोदित थीं और इस संबंध में, निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो यह संकल्प संशोधन अथवा संशोधन के बिना ही, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:**

   "संकल्प" लिया गया है कि धारा 152(6) के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के अनुसरण में, श्री एम. नागराज (डीआईएन:05184848), निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग), जो इस बैठक में आवर्तनुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखते हैं, को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अनुमोदित उन्हीं नियमों व शर्तों पर कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाता है।"

4. **कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु अधिकृत करना, और इस संबंध में, निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन अथवा संशोधन के बिना , सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:**

   "संकल्प" लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26

के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

विशेष व्यवसाय

5. श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल (डीआईएन : 06610367), की गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रुप में विचार करने और किसी संशोधन या बिना किसी संशोधन के पारित करने के लिए :

"संकल्प" लिया गया कि धारा 149, 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत् बनाए गए नियमों के किसी भी दूसरे लागू प्रावधानों के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और किसी भी दूसरे लागू कानूनों (जिनमें अभी लागू कोई भी कानूनी बदलाव या फिर से लागू करना शामिल है) और कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के साथ पठित, श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल (डीआईएन: 06610367), जिन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के 7 अप्रैल, 2025 के आदेश के तहत भारत के राष्ट्रपति ने एक साल के लिए गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था और बाद में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अनुशंसा पर निदेशक मंडल ने उन्हें गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया। स्वतंत्र निदेशक (अपर निदेशक) (28 अप्रैल, 2025 से प्रभावी), इस वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पद धारण करने के लिए, जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का संकल्प करते हुए लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुई है, उन्हें कंपनी के गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

6. श्रीमती सबिथा बोजन (डीआईएन: 09398364), की गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रुप में विचार करने और किसी संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करने के लिए :

"संकल्प" लिया गया कि धारा 149, 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत् बनाए गए नियमों के किसी भी दूसरे लागू प्रावधानों के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और

विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और किसी भी दूसरे लागू कानूनों (जिनमें अभी लागू कोई भी कानूनी बदलाव या फिर से लागू करना शामिल है) और कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के साथ पठित, श्रीमती सबिथा बोजन (डीआईएन: 09398364),, जिन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के 7 अप्रैल, 2025 के आदेश के तहत भारत के राष्ट्रपति ने एक साल के लिए गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के पर पर नियुक्त किया था और बाद में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अनुशंसा पर निदेशक मंडल ने उन्हें गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त किया। स्वतंत्र निदेशक (अपर निदेशक) (28 अप्रैल, 2025 से प्रभावी), इस वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पद धारण करने के लिए, जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुई है, उन्हें कंपनी के गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

7. **डॉ. रविन्द्र कुमार राय (डीआईएन: 09394495), की गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्ति**

निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रुप में विचार करने और किसी संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करने के लिए :

"संकल्प" लिया गया कि धारा 149, 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत् बनाए गए नियमों के किसी भी दूसरे लागू प्रावधानों के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और किसी भी दूसरे लागू कानूनों (जिनमें अभी लागू कोई भी कानूनी बदलाव या फिर से लागू करना शामिल है) और कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के साथ पठित, डॉ. रविंद्र कुमार राय (डीआईएन: 09394495),,, जिन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के 15 मई, 2025 के आदेश के तहत भारत के राष्ट्रपति ने एक साल के लिए गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त किया था को 1 साल के लिए गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। "उन्हें इस वर्ष के लिए और बाद में निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अनुशंसा पर गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अपर निदेशक) (29 मई, 2025 से प्रभावी) के रूप में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिनके संबंध में, कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त

हुई है, और इसके द्वारा कंपनी के गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

9. **कुल उधार सीमा को 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,50,000 करोड़ रुपये करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रुप में विचार करने और किसी संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करने के लिए :

"संकल्प" लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अंतर्गत, कंपनी के निदेशक मंडल को समय-समय पर कार्यों के निष्पादन के प्रयोजन से ज़रूरी समझे जाने वाली धन उधार लेने की मंज़ूरी दी जाती है (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में प्राप्त अस्थायी ऋणों के अतिरिक्त), भले ही ऐसा ऋण प्रदत्त पूँजी और उसके मुक्त भंडार (किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग नहीं रखा गया भंडार) की कुल राशि से अधिक हो, बशर्ते निगम द्वारा उधार ली जाने वाली और किसी भी समय बकाया कुल रकम 2,50,000 करोड़ रुपये (सिर्फ़ दो लाख पचास हज़ार करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगी।"

10. **अधिक से अधिक 10 लाख रुपये तक की धनराशि जुटाना। निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिरवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर जारी करने के माध्यम से अधिकतम 65,000 करोड़ रुपये तक धनराशि जुटाना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रुप में विचार करने और किसी संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करने के लिए :

"संकल्प" लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के नियमों के अनुसार, कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियमावली, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के दूसरे लागू नियमों, अगर कोई हों, (जिसमें कोई कानूनी बदलाव या फिर से लागू होना शामिल है, जो अभी लागू है), अगर कोई अधिसूचना जारी होती है, तो कोई भी, एनएचबी/आरबीआई के निजी प्लेसमेंट के आधार पर अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर जारी करने के निर्देश और किसी दूसरे नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई दूसरे दिशा-निर्देश, जैसा कि समय-समय पर बदला जा सकता है, कंपनी की सहमति ली जाती है और इसके द्वारा अधिकतम 65,000 करोड़ रुपये (पैसठ हजार करोड़ रुपये मात्र) तक निधियां जुटाने की मंज़ूरी दी जाती है। इस विशेष संकल्प के पास होने की तारीख से एक साल के समय के दौरान (सिर्फ़ पाँच हज़ार करोड़ रुपये) (बशर्ते कि किसी भी समय बकाया उधार, कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 180(1)(ग) के तहत शेयरहोल्डर्स द्वारा एक विशेष संकल्प के माध्यम से मंज़ूर की गई कुल उधार की सीमा से ज़्यादा न हो) कंपनी के अप्रतिभूतित/प्रतिभूतित अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर को निजी प्लेसमेंट के आधार पर, घरेलू और/या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, एक या ज़्यादा ट्रांच/कॉम्बिनेशन में और ग्रीन-शू विकल्प (जैसा कि ऊपर बताया गया है, 65,000 करोड़ रुपये की कुल सीमा के भीतर) का प्रयोग करके, अगर कोई हो, ऐसी शर्तों पर जो लागू दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित की जा सकती हैं, और ऐसी शर्तों पर जिन्हें बोर्ड या बोर्ड की किसी सही तरह से बनी समिति या बोर्ड द्वारा मंज़ूर की गई किसी दूसरे प्राधिकरण द्वारा अंतिम रुप दिया जा सकता है।

संकल्प लिया गया कि अप्रतिभूतित/प्रतिभूतित अपरिवर्तनीय बॉन्ड के किसी भी निजी प्लेसमेंट को लागू करने के प्रयोजन से/ डिबेंचर, कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") या बोर्ड की कोई सही तरह से बनी समिति या कोई दूसरे प्राधिकरण जिसे बोर्ड मंज़ूर करे, को ऐसे सभी काम, डीड और चीज़ें करने के लिए प्राधिककृत किया जाता है, जिन्हें ज़रूरी समझा जा सकता है, जिसमें इशु की शर्तें निर्धारित करना, उन विनियोगकर्ताओं की श्रेणी जिन्हें बॉन्ड/डिबेंचर अलॉट किए जाने हैं, हर ट्रांच में आबंटन किए जाने वाले बॉन्ड/डिबेंचर की संख्या, इशु मूल्य, टेनर, ब्याज दर, उस समय के बाजार मूल्य पर प्रीमियम/डिस्काउंट, इशु की राशि, मूल्य पर कटौती, लिस्टिंग, कोई घोषणा/ वचनपत्र या बॉन्ड जारी करने की कोई नियम एवं शर्तें आदि शामिल हैं, जिन्हें निजी प्लेसमेंट ऑफर लेटर/ऑफर डॉक्यूमेंट/ऑफरिंग सर्कुलर और उस समय लागू किसी भी दूसरी विनियामक जरूरत में शामिल करना ज़रूरी है।

संकल्प लिया गया कि कंपनी की सहमति, कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूति आबंटन) नियमावली के नियम 14 में किए गए प्रावधान के अंतर्गत दी जाती है, 2014 में, कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के वार्षिक उधार कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत सीमा तक समय-समय पर कोई अन्य प्रतिभूति (दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों) जारी करने का अधिकार दिया गया था, बशर्ते किसी भी समय बकाया उधार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत शेयरधारियों द्वारा एक विशेष संकल्प के माध्यम से मंज़ूर की गई कुल उधार की सीमा से ज़्यादा न हो।

11. **वीएपी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त करना**

निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रुप में विचार करने और किसी संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करने के लिए :

"संकल्प" लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के नियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24क के साथ पठित (जिसमें कोई भी कानूनी बदलाव, जो अभी लागू है उसे फिर से लागू करना शामिल है), और लेखापरीक्षा समिति तथा कंपनी के निदेशक मंडल की अनुशंसा के आधार पर, वीएपी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (रजिस्ट्रेशन नंबर: पी2023यूपी098500) को, वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले समय के लिए, कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षण करने हेतु, लगातार पांच साल की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है।

संकल्प लिया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल और/या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, उपरोक्त संकल्प लागू करने के लिए, इसके संबंध में या उससे सम्बद्ध सभी कार्य, विलेख, मामले और चीज़ें करने के लिए प्राधिकृत है और किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-
विकास गोयल
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 अगस्त, 2025

fVIif.k;ka

1. daiuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 102 ds vuqlj.k esa Li"Vhdj.k oäO; ftlesa en la[;k 5 ls 11 ds varxZr O;olk; ds lacaèk esa HkkSfrd rF;ksa dk mYys[k fd;k x;k gS] layXu fd;k x;k gSA okf"kZd vke cSBd esa fu;qfä@iqufuZ;qfä ds bPNqd funs'kdksa ds lacaèk esa Hkkjrh; daiuh lfpo laLFkku }kjk tkjh lkekU; cSBdksa ij lsch ¼lwphc)rk nkf;Ro vkSj çdVu vgZrk½ fofu;e] 2015 ¼^lsch ¼,yvksMhvkj½ fofu;e*½ ds fofu;e 36 ¼3½ vkSj lfpoh; ekud&2 ds vuqlkj çklafxd fooj.k Hkh layXu gSaA

2. lkekU; ifji= la- 09@2024 fnukad 19 सितंबर] 2024 ¼lkewfgd :i ls ^,elh, ifji=* ds :i esa lanfHkZr½ vkSj Hkkjrh; çfrHkwfr ,oa fofue; cksMZ ifji= la- lsch@,pvks@lh,QMh@lh,QMh&ihvksMh&2@ih@lhvkbZvkj@2023@167 fnukad 07 vDVwcj] 2023 dks vU; çklafxd ifji=ksa ¼^lsch ifji=* ds :i esa lanfHkZr½ ds lkFk ifBr कॉर्पोरेट dk;Z ea=ky; ¼,elh,½] Hkkjr ljdkj ds vuqlkj lkekU; ifji= la- 09@2023 fnukad 25 flracj] 2023 ds vuqikyu esa ohfM;ks d,UÝsaflax ¼^ohlh*½ ;k vU; v,fM;ks fotqvy lk/ku ¼^vks,oh,e*½ ds ekè;e ls ,th,e ds vk;kstu dh vuqefr nh xbZ gSA blfy,] daiuh vfèkfu;e] 2013] lsch fofu;ek] ,elh, vkSj lsch ifji=ksa ds vuqikyu esa] daiuh dh ,th,e ,d vke LFkku ij lnL;ksa dh HkkSfrd mifLFkfr ds fcuk ohlh@vks,oh,e ds ekè;e ls vk;ksftr dh tk jgh gSA 54oha ,th,e dh dk;Zokgh dk LFkku daiuh dk iath—r dk;kZy; gksxk tks gMdks Hkou] bafM;k gSfcVsV lsaVj] yksèkh jksM] ubZ fnYyh&110003 esa fLFkr gSA

3. daiuh vfèkfu;e] 2013 ds çkoèkkuksa ds vuqikyu esa] ,th,e esa mifLFkr gksus vkSj ernku djus ds fy, ik= fdlh lnL; dks mldh vksj ls ernku djus ds fy, ,d ç,Dlh fu;qDr djus dk vf/kdkj gksrk gS vkSj blds fy, izkWDlh daiuh dk lnL; ugha gksuk pkfg,A tc ls ;g ,th,e ohlh@vks,oh,e ds ekè;e ls ,elh, ds lfpoksa ds fy, vk;ksftr dh tk jgh gS] rc ls lnL;ksa dh HkkSfrd mifLFkfr ls NwV nh tk jgh gSA fuf'pr :i ls] lnL;ksa }kjk ç,Dlh fu;qDr djus dh lqfoèkk bl ,th,e ds fy, miyCèk ugha gksxhA ,th,e dk ç,Dlh Q,eZ] mifLFkfr iphZ vkSj :V eSi bl lwpuk esa layXu ugha fd;k x;k gSA

4. daiuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 112 vkSj 113 ds çkoèkkuksa ds vuqlkj] Hkkjr ds jk"Vªifr ;k d,ikZsjsV fudk; tSls lnL;ksa ds çfrfufèk ohlh@vks,oh,e ds ekè;e ls ,th,e esa Hkkx ys ldrs gSa vkSj bZ&oksfVax ds ekè;e ls viuk oksV Mky ldrs gSaA ,th,e esa fdlh lnL; dh vksj ls Hkkx ysus vkSj ernku djus ds fy, izkf/kd`r çfrfufèk fu;qä djus ds bPNqd daiuh ds laLFkkxr@d,ikZsjsV lnL;ksa ls vuqjksèk gS fd os vius cksMZ ;k 'kklh fudk; ds ladYi@çkfèkdj.k i= vkfn dh ,d LdSu çekf.kr çfr

¼ihMh,Q@tsihth çk:i½ esa Hkst nsa tks blds çfrfufèk dks mudh vksj ls ohlh@vks,oh,e ds ekè;e ls ,th,e esa Hkkx ysus vkSj ,th,e ds fuèkkZfjr le; ls de ls de 48 ?kaVs igys fjeksV bZ&oksfVax ds ekè;e ls ernku djus ds fy, izkf/kd`r djrk gSA mä çLrko@çkfèkdkj i= cksMZ }kjk vuqeksfnr daiuh lfpo tkapdrkZ Jh gsear dqekj flag dks muds iath—r bZesy irs hemantsinghcs@gmail.com ls Hkstk tk,xkA

5. la;qä èkkjdksa ds ekeys esa ftu lnL;ksa dk uke daiuh ds lnL;ksa ds jftLVj@us'kuy flD;ksfjVht fMi,ftVjh fyfeVsM ¼^,u,lMh,y*½@lsaVªy fMi,ftVjh lfoZlst ¼bafM;k½ fyfeVsM ¼^lhMh,l,y*½ ¼lkewfgd :i ls ^fMi,ftVjh* ds :i esa lanfHkZr ¼,u,lMh,y½ }kjk çnku dh xbZ ykHkkfFkZ;ksa dh lwph ds vuqlkj ukeksa ds Øe esa igys èkkjd ds :i esa iznf"kZr gksrk] rkd os ,sls la;qä /kkfjrk ds lacaèk esa ernku djus ds ik= gksaxsA

6. lsch@,elh, ifji= ¼vksa½ ds vuqikyu esa] foÙkh; o"kZ 2024-25 ds fy, ohvks@vks,lh,e ds ek/;e ls ,th,e esa Hkkx ysus okys ,sls lHkh lnL;ksa dks 55oha okf"kZd fjiksVZ dh fjeksV bZ&oksfVax dh çfØ;k vkSj fof/k] ,th,e ds fnu bZ&oksfVax ds fy, lnL;ksa dks vuqns"k lfgr budh izfr;ka bysDVª,fud eksM }kjk Hksth tk jgh gaS ftuds bZesy irs muds fMi,ftVjh ikfVZflisaV~l ¼Mhih½ vkSj@;k jftLVªkj rFkk 'ks;j VªkalQj ,tsaV~l ¼vkjVh,½ esa lapkj mís';ksa ds fy, iath—r gSaA daiuh okf"kZd fjiksVZ dh ,d HkkSfrd çfr dsoy mu lnL;ksa dks Hkstsxh tks fo'ks"k :i ls cswhudco@hudco.org ij vius Qksfy;ks uacj@Mhih vkbZMh rFkk xzkgd vkbZMh dk mYys[k djrs gq, blds fy, vuqjksèk djrs gSa vFkok Mkd ds ek/le ls vuqjks/k djrs gSaA A,th,e dh lwpuk lfgr okf"kZd fjiksVZ daiuh dh osclkbV www.hudco.org.in ij viyksM dh xbZ gS vkSj bls LV,d ,Dlpsatksa] vFkkZr ch,lbZ fyfeVsM vkSj us'kuy LV,d ,Dlpsat v,Q bafM;k fyfeVsM dh osclkbVksa www.bseindia.com vkSj www.nseindia.com ij Hkh viyksM fd;k x;k gS ftldk voyksdu us'kuy flD;ksfjVht fMi,ftVjh fyfeVsM ¼,u,lMh,y½ ¼,th,e ds nkSjku fjeksV bZ&oksfVax lqfoèkk vkSj bZ&oksfVax iz.kkyh iznku djus ds fy, fu;qä ,tsalh½ dh osclkbV www.evoting.nsdl.com ij Hkh fd;k tk ldrk gSA

7. ,th,e ds nkSjku tks lnL; vius fopkj O;ä djuk pkgrs gSa@iz'u iwNuk pkgrs gSa] os vius iath—r bZesy irs ls viuk uke] MheSV [kkrk@Qksfy;ks uacj] bZesy vkbZMh] eksckby uacj dk mYys[k djrs gq, **fnukad 8 flracj] 2025 rd** सायं 5 cts ls igys bZesy investors.agm@hudco.org ij vuqjksèk Hkstdj oDrk ds :i esa viuk iathdj.k djk ldrs gSaA 'ks;jèkkjdksa ds ç'uksa ds fy, lnu ds [kqyus ds ckn dsoy mu lnL;ksa dks gh ,th,e ds nkSjku vius fopkj O;ä djus@ç'u iwNus dh vuqefr nh tk,xh

ftUgksaus Lo;a dks oDrk ds :i esa iath—r fd;k gSA ,th,e esa le; dh miyCèkrk ds vkèkkj ij oäkvksa dh la[;k vkSj ç'uksa dh la[;k dks lhfer djus dk vfèkdkj daiuh ds ikl lqjf{kr gSA
blds vfrfjDr] cSBd esa ysunsu fd, tkus okys O;olk; ds fdlh Hkh fo'k; ¼vksa½ ij tkudkjh@Li"Vhdj.k dh ekax djus ds bPNqd lnL;ksa ls vuqjksèk fd;k tkrk gS fd os 8 flracj] 2025 rd ;k mlls igys investors.agm@hudco.org ij vius ç'u Hkst nsa] rkfd ekaxh xbZ tkudkjh@Li"Vhdj.k ,th,e ds le; vklkuh ls miyCèk djkbZ tk lds;

8- ohlh@vks,oh,e ds ekè;e ls ,th,e esa Hkkx ysus okys lnL;ksa dh mifLFkfr dh x.kuk] daiuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 103 ds rgr dksje dk irk yxkus ds mís'; ls dh tk,xhA

9. ykHkka'k vkSj ykHkka"k ij VhMh,l - ykHkka'k forj.k uhfr vkSj MhihbZ fn'kkfunZs'kksa ds lanHkZ esa] funs'kd eaMy us ,th,e esa "ks;j/kkjdksa ds vuqeksnu gsrq 10 #i;s ds vafdr ewY; ds 1.05 #i;s ¼10.50 izfr"kr½ izfr bfDoVh "ks;j dh nj ls vafre ykHkka:k dh laLrqfr dh gSA ,th,e esa vuqeksnu@?kks"k.kk ds mijkar] ykHkka'k dk Hkqxrku mu ik= lnL;ksa dks lzksr ij dj dh dVkSrh ds vèkhu fd;k tk,xk] ftuds uke fjdkMZ frfFk 'kqØokj] fnukad 08 flracj] 2025 dks dk;Zfnolksa ds var esa ykHkkFkhZ@lnL; ds :i esa iznf"kZr fd, tk,axsA

mi;qZDr laLrqfr ds vuqlkj vafre ykHkka'k ds vfrfjDr] cksMZ us igys gh जनवरी और ekpZ 2025 esa 10 #i;s ds vafdr ewY; ds रु 2.05/- (20.50प्रतिशत) और रु.1.05/- (10.50 प्रतिशत½ ds varfje ykHkka"k ds Hkqxrku dks eatwjh ns nh gSA
'ks;jèkkjdksa }kjk vuqeksnu fn, tkus ds mijkar foÙkh; o"kZ 2024-25 ds fy, dqy ykHkka'k 4-15 #i;s ¼41-50 izfr"kr½ izfr bfDoVh "ks;j gksxk ftlesa dqy isvkÅV ykHkka"k 830.79 djksM+ #i;s gksxkA

55वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, अंतिम लाभांश का भुगतान निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाएगा। सेबी ने 23 जून, 2025 के अपने मास्टर सर्कुलर के माध्यम से, आरटीए द्वारा निवेशक सेवा अनुरोधों के प्रसंस्करण के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी (संपर्क विवरण, बैंक विवरण और नमूना हस्ताक्षर) और नामांकन विवरण प्रस्तुत करने के मानदंड निर्धारित किए हैं। उक्त सर्कुलर के अनुसार, भौतिक रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण प्रस्तुत

करना अनिवार्य है। mä ifji= ds vuqlkj, HkkSfrd :i esa çfrHkwfr;ka j[kus okys 'ks;jèkkjdksa ds fy, iSu] dsokbZlh vkSj ukekadu fooj.k çLrqr djuk vfuok;Z gSA ftu Qksfy;ks esa mä fooj.k miyCèk ugha gSa] os vko';d fooj.k ntZ djus ds ckn gh f'kdk;r djus ;k fdlh Hkh lsok vuqjksèk ds fy, ik= gksaxsA ,sls Qksfy;ks ds lacaèk esa ykHkka'k lfgr dksbZ Hkh Hkqxrku dsoy vko';d fooj.k ntZ djus ij fnukad 1 vçSy] 2024 ls bysDVª,fud :i ls fd;k tk,xkA rnuqlkj] HkkSfrd :i esa 'ks;j j[kus okys 'ks;jèkkjdksa ls daiuh dh osclkbV www.hudco.org.in ij miyC/k fu/kkZfjr izi= esa daiuh ds vkjVh, vFkkZr बीटल फाइनैंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसिज प्राइवेट fyfeVsM dks iSu] dsokbZlh vkSj vU; vko';d fooj.k rqjar iznku djus dk iqu% vuqjksèk fd;k tkrk gSA

lnL; ;g Hkh uksV dj ldrs gSa fd foÙk vfèkfu;e] 2020 }kjk ;Fkk la'kksfèkr vk;dj vfèkfu;e] 1961 ¼^vkbZVh vfèkfu;e*½ esa ;g vkns'k fn;k x;k gS fd fnukad 01 vçSy 2020 ds ckn fdlh daiuh }kjk iznRr vFkok laforfjr ykHkka'k lnL;ksa }kjk dj;ksX; gksaxsA blfy, daiuh dks ykHkka'k ds Hkqxrku ds le; lzksr ij dj ¼VhMh,l½ dh dVkSrh djuh gksxhA fuoklh vkSj vfuoklh 'ks;jèkkjdksa ds fy, vk;dj vfèkfu;e ds rgr lzksr ij dj ¼VhMh,l½ dh dVkSrh ds çkoèkku ykxw gSaA

foLr`r çfØ;k ds fy, —i;k daiuh dh osclkbV www.hudco.org.in Investors/55AGM/TDS Communication dk voyksdu djsaA 'ks;jèkkjdksa ls vuqjksèk gS fd os 'kwU; dj@fj;k;rh nj ij NwV dk nkok djus ds fy, mijksDrkuqlkj vkbZVh vfèkfu;e ds rgr vko';d nLrkost daiuh dks dsoy dividend.tax @hudco.org ij fnukad **10 flracj] 2025** dks ;k mlls igys tek djsa] rkfd daiuh mi;qä VhMh,l nj fuèkkZfjr dj ldsA **10 flracj] 2025** ds ckn dj fuèkkZj.k@dVkSrh ij fdlh Hkh i=kpkj ij fopkj ugha fd;k tk,xk vFkok Åij mfYyf[kr fufnZ"V bZesy irs ds vfrfjDr fdlh vU; bZesy ij Hksts x, nLrkostksa ij fopkj ugha fd;k tk,xkA

10. **fuos'kd f'k{kk vkSj laj{k.k dks'k :** daiuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 124 ¼5½ rFkk fuos'kd f'k{kk vkSj laj{k.k fufèk çkfèkdj.k ¼ys[kkadu] ys[kkijh{kk] varj.k vkSj èkuokilh½ fu;e] 2016 ¼vkbZbZih,Q fu;ekoyh 2016½ ds vuqlkj daiuh ls vis{kk dh tkrh gS fd og ,slh jkf'k ds voSrfud ykHkka'k [kkrs esa varj.k dh rkjh[k ls lkr ¼7½ o"kZ dh fujarj vofèk ds fy, voSrfud ;k nkok u fd, x, voSrfud ykHkka'k dh jkf'k dks dsaæ ljdkj }kjk LFkkfir fuos'kd f'k{kk vkSj laj{k.k dks'k ¼fuf/k½ esa varfjr djsA blds vfrfjDr] daiuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 124 ¼6½ vkSj vkbZbZih,Q fu;ekoyh 2016 ds vuqlkj] ,sls lHkh 'ks;j ftuds lacaèk esa ykHkka'k dk Hkqxrku ugha fd;k x;k gS ;k yxkrkj lkr o"kksZa ;k mlls vfèkd le; ls nkok ugha fd;k x;k gS] mUgsa Hkh vkbZbZih,Q [kkrs esa varfjr fd;k tk,xkA 'ks;jèkkjd —i;k è;ku nsa fd ;fn fdlh jkf'k@'ks;j dks fuf/k esa varfjr fd;k tkrk gS] rks mls vkbZbZih,Q fu;ekoyh] 2016 ds rgr fufnZ"V çfØ;k dk ikyu djrs gq, ^fuos'kd f'k{kk vkSj laj{k.k dks'k çkfèkdj.k* ls nkok fd;k tkuk pkfg,A

11- daiuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 152 ds lanHkZ esa Jh एम.नागराज ¼MhvkbZ,u% 05184848½ funs'kd (कॉर्पोरेट प्लानिंग) bl ,th,e esa vkoruZqlkj lsokfuo`Ùk gksrs gSa vkSj ik= gksus ds dkj.k] iqu% fu;qfä gsrq viuh mEehnokjh izLrqr djrs gSaA lsch ¼yvksMhvkj½ fofu;e] 2015 ds fofu;e 36 ¼3½ rFkk Hkkjrh; daiuh lfpo laLFkku }kjk tkjh lkekU; cSBdksa ij lfpoh; ekud ¼,l,l&2½ ds rgr vko';d fooj.k uksfVl ds lkFk layXu gSA

12- daiuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 139 ¼5½ ds vuqlj.k esa ljdkjh daiuh ds ys[kk ijh{kdksa dh fu;qfä Hkkjr ds fu;a=d vkSj egkys[kk ijh{kd ¼lh,th½ }kjk dh tkrh gS vkSj daiuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 142 ds vuqlkj lkafofèkd ys[kk ijh{kdksa dk ikfjJfed daiuh }kjk lkekU; cSBd esa fuèkkZfjr fd;k tk,xk vFkok lkekU; cSBd esa daiuh }kjk ;Fkk fu/kkZfjr ds vuqlkj fd;k tk,xkA foÙk o"kZ 2025-26 ds fy, daiuh ds lkafofèkd ys[kk ijh{kdksa dh fu;qfä vHkh lh,th }kjk ugha dh xbZ gSA rnuqlkj] ;g çLrko fd;k x;k gS fd lnL; foÙkh; o"kZ 2025-26 ds fy, ikfjJfed fu/kkZfjr djus ds fy, daiuh ds funs'kd eaMy dks izkf/k—r dj ldrs gSaA

13- lsch ds fn'kkfunZs'kksa ds vuqlkj lHkh daifu;ksa ds fy, bysDVª,fud lek"kks/ku lsok ¼bZlh,l½ ds ekè;e ls tgka Hkh bZlh,l vkSj cSad fooj.k miyCèk gSa] ogka fuos'kdksa dks ykHkka'k vkSj vU; udn ykHk vkfn forfjr djus ds fy, fMi,ftVjh }kjk çLrqr cSad [kkrs ds fooj.k dk mi;ksx djuk vfuok;Z dj fn;k x;k gSA lnL; ;g Hkh

uksV dj ldrs gSa fd Mhih@vkjVh, ds fjd,MZ esa miyCèk muds cSad [kkrs ds fooj.k dk mi;ksx jk"Vªh; bysDVª,fud lek'kksèku lsok ¼,ubZlh,l½ ds ekè;e ls ykHkka'k vkSj vU; udn ykHkksa vkfn ds Hkqxrku ds mís'; ls fd;k tk,xkA lnL;ksa dks lqfuf'pr djuk pkfg, fd Mhih@vkjVh, ds fjd,MZ esa lgh cSad fooj.k ntZ gSa] rkfd bZlh,l dh vksj ls fdlh izdkj dh vLoh—fr u gksA HkkSfrd :i esa 'ks;j j[kus okys lnL;ksa ls ifji=ksa ds vuq:i le; ij ykHkka'k çkIr djus ds fy, bZlh,l eksM dk fodYi pqudj vius uke] Mkd irk] bZesy] VsyhQksu@eksckby uacj] iSu ua-] ukekadu dk iathdj.k vkSj ikoj v,Q vV,uÊ] cSad v/;kns"k vkfn fooj.k tSls cSad dk uke vkSj 'kk[kk] cSad [kkrk la[;k] ,evkbZlhvkj dksM] vkbZ,Q,llh dksM vkfn ls lacafèkr ifjorZuksa dh tkudkjh vius Mhih dks lwfpr djus dk vuqjks/k fd;k tkrk gSA

14- lsch us fnukad 23 जून, 2025 ds ifji= ds ekè;e ls vnkokd`r lLisal [kkrksa ls nkok djus] çfrHkwfr çek.ki= dk uohdj.k@vknku&çnku] leFkZu] çfrHkwfr çek.ki= dk mi&foHkktu@foHkktu] çfrHkwfr çek.ki=ksa@Qksfy;ks dk lesdu] lapj.k vkSj LFkkukUrj.k ls lacaf/kr MqfIydsV çfrHkwfr çek.ki= tkjh djus ds fy, lsok vuqjks/kksa dks lalkf/kr djrs le; lwphc) daifu;ksa dks dsoy fMeVsfj;ykbTM :i esa çfrHkwfr;ka tkjh djuk vfuok;Z fd;k gSA rnuqlkj] lnL;ksa dks ijke"kZ fn;k tkrk gS fd os viuh çfrHkwfr;ksa dks HkkSfrd :i esa j[ksa] ftlds fy, lnL;ksa ls vuqjksèk fd;k tkrk gS fd os daiuh dh osclkbV www. hudco.org.in ij miyC/k vkbZ,lvkj&4 QkeZ dks iw.kZ:is.k fof/kor Hkj dj lsok laca/kh vuqjksèk djsaA —i;k è;ku nsa fd fdlh Hkh lsok vuqjksèk dks Qksfy;ks ds dsokbZlh vuqikyu ds ckn gh lalkfèkr fd;k tk ldrk gSA

;Fkk la"kksf/kr lsch lwphdj.k fofu;eu ds fofu;e 40 ds vuqlkj] Vªkalfe'ku vkSj Vªkaliksft'ku vuqjksèkksa lfgr çfrHkwfr;ksa ds gLrkarj.k ds fy, lHkh vuqjksèkksa dks dsoy vewrZ :i esa lalkfèkr fd;k tk,xkA bls /;ku esa j[krs gq,] vewrhZdj.k ds varfuZfgr ykHk çkIr djus ds fy, daiuh ds "ks;jksa dks HkkSfrd :i esa j[kus okys 'ks;j/kkjd lnL;ksa ls budk MheSVfj;ykbTM QkWeZ esa ifjofrZr djus dk vuqjks/k fd;k x;k gSA

इसके अतिरिक्त, सेबी ने 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 के माध्यम से केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो खोली है जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी या अन्य कारणों से अस्वीकृत/वापस कर दिए गए थे या उपस्थित नहीं हुए थे। पुनः दाखिल करने की यह विंडो छह महीने की अवधि के लिए खुली रहेगी, अर्थात 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक। इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल की गई प्रतिभूतियाँ (जिनमें वे अनुरोध भी शामिल हैं जो आज की तारीख तक कंपनी/आरटीए के पास लंबित हैं) केवल

डीमैट मोड में जारी की जाएँगी, जब आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज सही पाए जाएँगे। पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ईमेल आईडी beetalrta@gmail.com पर या बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली - 110062 स्थित उनके कार्यालय में या कंपनी को cswhudco@hudco.org पर भेजें।

blds vfrfjDr] ,d ls vfèkd Qksfy;ks esa ukeksa ds leku Øe esa HkkSfrd :i esa 'ks;j j[kus okys 'ks;jèkkjdksa ls vuqjksèk fd;k tkrk gS fd os ,d Qksfy;ks esa viuh "ks;j/kkfjrk dks lesfdr djus ds fy, 'ks;j çek.ki=ksa ds lkFk ,sls Qksfy;ks dk fooj.k vkjVh, dks Hkst nsaA

15. lnL;ksa ls fuEufyf[kr ij /;ku nsus ds fy, vuqjks/k fd;k tkrk gS %

d½ vfuoklh Hkkjrh; 'ks;jèkkjd ¼vksa½ ls vuqjksèk gS fd os LFkk;h fuiVku ds fy, Hkkjr ykSVus ij viuh vkoklh; fLFkfr esa cnyko] Hkkjr esa [kksys x, vius cSad [kkrs ds fooj.k] iwjk uke] "kk[kk] [kkrs dk çdkj vkSj fiu dksM lfgr cSad dk irk] ;fn igys çLrqr ugha fd;k x;k gS] bldh lwpuk vius Mhih@vkjVh, dks rqjar nsaA

[k½ daiuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 72 ds vuqlkj] HkkSfrd :i esa 'ks;j j[kus okys lnL; daiuh ¼dsaæ ljdkj½ lkekU; fu;e vkSj izi= 2013 esa fufnZ"V QkeZ ,l,p&13 esa ukekadu dj ukekadu lqfo/kk dk ykHk mBk ldrs gSaA ukekadu jí djus ;k mlesa cnyko ds fy, Q,eZ ,l,p&14 dk mi;ksx fd;k tk ldrk gSA vkjVh, dks iw.kZ:is.k fof/kor Hkjk x;k Q,eZ ,l,p&13@,l,p&14 çLrqr fd;k tkuk vko';d gSA ukekadu Q,eZ ¼vksa½ ds çk:i daiuh dh osclkbV, www.hudco.org.in ij miyCèk gSaA MheSVfj;ykbTM QkWeZ esa j[ks x, 'ks;jksa ds laca/k esa] ukekadu@irs dk ifjorZu lacafèkr Mhih ds ikl ntZ djuk gksrk gS] vkSj

x½ èkks[kkèkM+h ysunsu dks jksdus ds fy, lnL;ksa dks lykg nh tkrh gS fd os mfpr ifjJe djsa vkSj fdlh Hkh lnL; ds irs esa fdlh Hkh cnyko ;k e`R;q ds ckjs esa daiuh dks "kh?kz lwfpr djsaA lnL;ksa dks ;g Hkh ijke"kZ fn;k tkrk gS fd os vius MheSV [kkrs dks yacs le; rd fuf"Ø; u j[ksaaA "ks;j/kkfjrk dk vkofèkd fooj.k lacafèkr Mhih ls çkIr fd;k tkuk pkfg, vkSj "ks;j/kkfjrk dks le;≤ ij lR;kfir fd;k tkuk pkfg,A

16 55oha ,th,e ds nkSjku] vfèkfu;e dh èkkjk 170 ds rgr cuk, x, funs'kd vkSj çeq[k çcaèku dkfeZd jftLVj rFkk mudh 'ks;j/kkfjrk] vfèkfu;e dh èkkjk 189 ds rgr cuk, x;k vuqcaèk vkSj O;oLFkk jftLVj ftlesa funs'kd #fp j[krs gSa vkSj vU; çklafxd nLrkost ,oa O;k[;kRed fooj.k okf"kZd lkekU; cSBd ds tkjh jgus rd miyC/k jgsaxsA

17 बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, vkjVh,] 'ks;j ls lacafèkr lHkh xfrfofèk;ksa dh ns[kHkky dj jgk gS tSls-Vªkalfe'ku@Vªkaliksft'ku@vewrhZdj.k@'ks;jksa dk lesdu] irs esa ifjorZu] cSad tukns'k] ukekadu nkf[ky djuk] ykHkka'k Hkqxrku vkfnA lnL;ksa ls vuqjksèk gS fd os "ks;j vkSj blls lacaf/kr lHkh ekeyksa ds fy, Hkkoh i=kpkj vkjVh, ls fuEufyf[kr irs ij djsa %

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

jftLVªkj ,aM 'ks;j VªkalQj ,tsaV~l ¼vkjVh,½

बीटल हाउस, तीसरी मंजिल 99 मदनगीर,

लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे,

ubZ fnYyh&**110062**

bZesy &vkbZMh % beetalrta@gmail.com

laidZ la[;k**- 011-42959000-09, 011-29961281-283**

osclkbV % https://beetal.in

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 5

i. **श्री सोलोमन अरोकियाराज (डीआईएन: 06802660)** को भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या ए-42012(12)/39/2017-एए/भाग(1)/ई-9111623 दिनांक 27 सितंबर, 2024 के माध्यम से कंपनी के बोर्ड में अंश-कालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया। तदनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अनुशंसा पर निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए श्री सोलोमन अरोकियाराज (डीआईएन: 06802660) को अपर निदेशक (29 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी) के रूप में नियुक्त किया था।

ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, कंपनी के अंतर्नियमों के साथ पठित, अपर निदेशक आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक या वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित होने की अंतिम तारीख तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 17

के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंज़ूरी आगामी सामान्य बैठक में ली जानी आवश्यक है।

इसलिए, श्री सोलोमन अरोकियाराज को हडको के अंश-कालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए सामान्य संकल्प के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों की मंज़ूरी आवश्यक है।

iii. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित में एक नोटिस मिला है, जिसमें कंपनी के अंश-कालिक सरकारी निदेशक के रूप में श्री सोलोमन अरोकियाराज की उम्मीदवारी को दर्शाया गया है।

iv. श्री सोलोमन अरोकियाराज के अतिरिक्त कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधक कर्मी या उनके रिश्तेदार प्रस्तावित संकल्प में किसी भी तरह से, वित्तीय या किसी और रूप से संबंधित नहीं है अथवा उनकी कोई अभिरुचि नहीं है।

v. श्री सोलोमन अरोकियाराज का संक्षिप्त बायोडाटा, जिसमें विशेष कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में उनकी शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद, समितियों में सदस्यता/अध्यक्ष पद और अन्य जानकारी दी गई है, इस नोटिस का हिस्सा है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने नियुक्ति के लिए नोटिस में मद संख्या 5 में बताए गए तरीके से शेयरधारकों की मंज़ूरी के लिए अगली वार्षिक साधारण सभा में संस्तुति की है।

मद संख्या 6

i. **श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल, (डीआईएन: 06610367)** को भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या ए-42012(12)/2/2019-एए-यूडी-भाग(1)(ई-9086347) दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के माध्यम से कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और 28 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए तदनुसार नामांकन

और पारिश्रमिक समिति की संस्तुति पर निदेशक मंडल द्वारा अप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, अपर निदेशक आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक या वार्षिक सामान्य बैठक होने की आखिरी तारीख तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 17 के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंज़ूरी आगामी सामान्य बैठक में लि जानी आवश्यक है।

इसलिए, हडको के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रुप में श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल की नियुक्ति के लिए विशेष संकल्प के द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों की मंज़ूरी आवश्यक है।

iii. श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 164 के अनुसार निदेशक के रुप में नियुक्त होने के पात्र हैं और उन्होंने निदेशक के रुप में कार्य करने के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है। कंपनी को श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल से एक घोषणा भी मिली है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सूचीबद्ध विनियमों के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। बोर्ड की राय में, श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल अधिनियम और सूचीबद्ध विनियमों में निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की शर्तों को पूरा करते हैं।

iv. श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए बैठने के शुल्क के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार होंगे। स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक के ब्यौरे का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में किया जाएगा।

v. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल की नियुक्ति के संबंध में लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, यदि नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें आवर्तन अनुसार सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा।

vi. श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल के अतिरिक्त कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कर्मी या उनके रिश्तेदारों का वित्तीय या अन्य किसी भी तरह से इस संकल्प से कोई संबंध या इसमें कोई अभिरुचि नहीं है।

vii. श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल का संक्षिप्त विवरण, जिसमें किसी विशेष कार्य के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में शेयरधारिता, निदेशक के अन्य पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्ष पद और दूसरी जानकारी दी गई हो, इस नोटिस का हिस्सा है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने नियुक्ति के लिए सूचना की मद संख्या 6 में बताए गए अनुसार शेयरधारियों की मंज़ूरी के लिए आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में अनुशंसा की है।

मद संख्या 7

i. श्रीमती सबिथा बोजन (डीआईएन: 09398364) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से आदेश संख्या ए-42012(12)/2/2019- एए-यूडी-भाग(1)(ई-9086347) दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के माध्यम से कंपनी के बोर्ड में एक वर्ष की अवधि के लिए गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और तदनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संस्तुति पर निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में, 28 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए नियुक्त किया गया था।

ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के साथ कंपनी के अंतर्नियमों के साथ पठित, अपर निदेशक आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक या वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित होने की अंतिम तारीख तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त, एसईबीएल (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 17 के अनुसार निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंज़ूरी आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में ली जानी आवश्यक है। इसलिए, हडको के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती सबिथा बोजन की नियुक्ति के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों की मंज़ूरी आवश्यक है।

iii. श्रीमती सबिथा बोजन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। सबिथा बोजन ने कहा कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सूचीबद्ध विनियमों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा

करती हैं। बोर्ड की राय में, श्रीमती सबिथा बोजन अधिनियम और सूचीबद्ध विनियमों में निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए शर्तों को पूरा करती हैं।

iv. श्रीमती सबिथा बोजन, एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने की पात्र होंगी। स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक के ब्यौरे का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में किया जाएगा।

v. कंपनी को श्रीमती सबिथा बोजन की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, यदि उन्हें नियुक्त किया जाता हैं, तो वह आवर्तन अनुसार सेवानिवृत्त होने की पात्र नहीं होगी।

vi. श्रीमती सबिथा बोजन के अतिरिक्त कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कर्मी या उनका संबंधी, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्य रूप से प्रस्तावित संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

vii. श्रीमती सबिथा बोजन का संक्षिप्त विवरण, जिसमें किसी विशेष कार्य के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्ष पद और अन्य विवरण इस नोटिस का हिस्सा हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने नियुक्ति के लिए नोटिस की मद संख्या 7 में उल्लेखित रूप से शेयरधारियों की मंज़ूरी के लिए आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में संस्तुति की है।

मद संख्या 8

i. डॉ. रविंद्र कुमार राय (डीआईएन: 09394495) को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा आदेश संख्या ए-42012(12)/2/2019-एए-यूडी-भाग(1)(ई-9086347) दिनांक 15 मई, 2025 के माध्यम से कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और तदनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संस्तुति पर निदेशक मंडल द्वारा, 29 मई, 2025 से प्रभावी, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, अपर निदेशक आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक या जिस तारीख को वाषिंक

सामान्य बैठक होगी, उसमें से जो भी पहले हो, उस तारीख तक पद पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त, एसईबीएल(एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 17 के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारियों की मंज़ूरी आगामी सामान्य बैठक में ली जानी आवश्यक है।

इसलिए, हडको के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रुप में डॉ. रविंद्र कुमार राय की नियुक्ति के लिए विशेष संकल्प द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारियों की मंज़ूरी आवश्यक है।

iii. डॉ. रविंद्र कुमार राय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निदेशक के तौर पर नियुक्त होने के पात्र हैं और उन्होंने निदेशक के रूप में काम करने के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है। कंपनी को डॉ. रविंद्र कुमार राय से यह घोषणा भी मिली है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सूचीबद्ध विनियम के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। बोर्ड की राय में, डॉ. रविंद्र कुमार राय अधिनियम और सूचीबद्ध विनियम में बताए गए स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्ति की शर्तों को पूरा करते हैं।

iv. डॉ. रविंद्र कुमार राय, स्वतंत्र निदेशक के तौर पर, बोर्ड द्वारा मंज़ूर बोर्ड/बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने के पात्र होंगे। स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक के ब्यौरे का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में किया जाएगा। -

v. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधान के तहत डॉ. रविंद्र कुमार राय की नियुक्ति के बारे में लिखित में नोटिस मिला है। अगर उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो वह आवर्तन अनुसार सेवानिवृत्त होने की पात्र नहीं होंगे।

vi. डॉ. रविंद्र कुमार राय के अतिरिक्त कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कर्मी या उनके रिश्तेदारों का वित्तीय या अन्य किसी भी तरह से इस संकल्प से कोई संबंध या इसमें कोई अभिरुचि नहीं है।

vii. डॉ. रविंद्र कुमार राय का का संक्षिप्त विवरण, जिसमें किसी विशेष कार्य के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्ष पद और अन्य विवरण इस नोटिस का हिस्सा हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने नियुक्ति के लिए नोटिस की मद संख्या 8 में उल्लेखित रूप से शेयरधारियों की मंज़ूरी के लिए आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में संस्तुति की है।

मद संख्या 9

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसार, कोई भी कंपनी तब तक ऋण नहीं ले सकती, जब तक कि कंपनी के सदस्यों द्वारा मंज़ूरी न दी गई हो, जहाँ लिए जाने वाले ऋण की राशि, कंपनी द्वारा पहले से ली गयी राशि को मिलाकर, उसके प्रदत्त अंश पूँजी और मुक्त भंडार के कुल योग से ज़्यादा हो। यह कंपनी के बैंकर्स से सामान्य व्यवसाय के दौरान लिए गए अस्थायी ऋण को छोड़कर है।

शेयरधारियों ने 25 सितंबर, 2024 को हुई 54वीं वार्षिक सामान्य बैठक में पारित किए गए विशेष संकल्प के ज़रिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत 1,50,000 करोड़ रुपये तक की निधि के ऋण की मंज़ूरी दी। प्रचालनात्मक ज़रूरतों के आधार पर, सदस्यों द्वारा मंज़ूर की गई 1,50,000 करोड़ रुपये की मौजूदा ऋण की सीमा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऋण लेने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं हो सकती है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत, सदस्यों द्वारा विशेष संकल्प पारित करके, ऋण लेने की सीमा को वर्तमान 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,50,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

कंपनी के किसी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कर्मी या उनके रिश्तेदारों का वित्तीय या अन्य किसी भी तरह से इस संकल्प से कोई संबंध या इसमें कोई अभिरुचि नहीं है।

निदेशक, सदस्य की मंज़ूरी के लिए नोटिस की मद संख्या 9 में विनिर्दिष्ट विशेष संकल्प की अनुशंसा करते हैं।

मद संख्या 10

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के साथ कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूति आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 और कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 के अनुसार, कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निजी प्लेसमेंट तब तक नहीं करेगी जब तक प्रतिभूतियों के प्रस्तावित ऑफ़र या प्रतिभूतियों को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रण के संबंध में कंपनी के शेयरधारियों द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव या आमंत्रण के लिए विशेष संकल्प के द्वारा पहले से मंज़ूरी न दे दी गई हो। हालाँकि, 'गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड' के ऑफ़र या आमंत्रण के मामले में, यह

काफ़ी होगा, अगर कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर/बॉन्ड के सभी ऑफ़र या आमंत्रण के लिए वर्ष में सिर्फ़ एक बार विशेष संकल्प पारित करती है।

इस विशेष प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से एक वर्ष के दौरान संसाधन/निधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निदेशक मंडल ने कंपनी के अप्रतिभूतित/प्रतिभूतित गैर-परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर को निजी प्लेसमेंट के आधार पर घरेलू तथा/अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक अथवा एक से अधिक किश्तों/संयोजनों में जारी करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें अधिकतम 50 लाख रुपये तक के ग्रीन-शू विकल्प का प्रयोग शामिल है। 65,000 करोड़, और किसी भी समय बकाया ऋण के अधीन, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित कुल ऋण सीमा से अधिक नहीं होगी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूति आबंटन) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित, जो उस समय लागू हैं), जिससे अधिसूचना(ओं), यदि कोई हो, एनएचबी/आरबीआई को निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर जारी करने के निदेश और किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अन्य दिशानिर्देश, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, जारी करने में सक्षम बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या ऐसे अन्य प्राधिकरण को, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, ऐसे सभी कार्य, विलेख और चीजें, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है, जिसमें इस मुद्दे की शर्तों को निर्धारित करना शामिल है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है, जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें बॉन्ड / डिबेंचर आबंटित किया जाना है, प्रत्येक चरण में आबंटित किए जाने वाले बॉन्ड / डिबेंचर की संख्या, जारी मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम / छूट, इशु की राशि, इशु मूल्य पर छूट, लिस्टिंग, किसी भी घोषणा / वचनपत्र या बॉन्ड के जारी करने की किसी भी नियम और शर्तों आदि को जारी करना, निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र / प्रस्ताव दस्तावेज / प्रस्ताव परिपत्र और उस समय लागू किसी भी अन्य नियामक आवश्यकता में शामिल होना आवश्यक है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कर्मी/उनके संबंधी की प्रस्तावित संकल्प में किसी भी तरह से वित्तीय या किसी और तरह से संबंधित नहीं है या अभिरुचि नहीं है। निदेशक नोटिस की मद संख्या 10 में बताए गए विशेष प्रस्ताव को सदस्यों की मंज़ूरी के लिए संस्तुति करते हैं।

मद संख्या 11

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24क (जिसमें उस समय लागू कोई भी कानूनी बदलाव, फिर से लागू करना शामिल है) के अनुसार, निदेशक मंडल ने 6 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में लेखा परीक्षण समिति की अनुशंसा पर मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज़ इन प्रैक्टिस (रजिस्ट्रेशन नंबर: पी2023यूपी098500) को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार 5 (पांच) साल के लिए कंपनी के सचिवीय कार्यों के लेखापरीक्षक के तौर पर नियुक्त करने की अनुशंसा की थी। प्रस्तावित फीस 28,350/- रुपये प्रतिवर्ष (जमा लागू कर) होगी, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5% की बढ़ोतरी होगी।

फर्म ने इस नियुक्ति के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है, और पुष्टि की है कि अगर उनकी नियुक्ति होती है, तो वह अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर होगा। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि वे कंपनी के सचिवीय कार्यों के लेखापरीक्षक के तौर पर प्रस्तावित नियुक्ति के लिए पात्र हैं और सेबी के परिपत्र में बताई गई कोई भी अयोग्यताएं उन पर नहीं आई है।

मूल्यांकन के भाग के तौर पर, प्रबंधन ने मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स की पात्रता पर भी विचार किया, जो लगातार दो पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 और 2024-25 के लिए कंपनी के सचिवीय कार्य लेखापरीक्षक हैं। मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, एक पीयर रिव्यूड फर्म है जो 2014 में बनी थी और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है, इसके पास सीपीएसई सहित कई सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के सचिवीय कार्यों की लेखा परीक्षा और दूसरे संबंधित सचिवीय कार्य करने का बहुत अच्छा और अलग-अलग तरह का अनुभव है। यह फर्म कॉर्पोरेट लॉ, सेबी और आरबीआई विनियमन, कॉर्पोरेट संचालन पद्धति और अनुपालन में विशेषज्ञ है। फर्म की विशेषज्ञता और प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5% वेतन की बढ़ोतरी के साथ 28,350/- रुपये प्रति वर्ष (जमा लागू कर) की प्रस्तावित फीस और दूसरी शर्तों पर मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव की नियुक्ति पर विचार करता है, और सदस्यों

की मंज़ूरी के लिए मद संख्या 11 में बताए गए नोटिस के सामान्य संकल्प की संस्तुति करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधन कर्मी या उनके रिश्तेदारों का वित्तीय या अन्य किसी भी तरह से इस संकल्प से कोई संबंध या इसमें कोई अभिरुचि नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 अगस्त, 2025

हस्ता/-
विकास गोयल
कंपनी सचिव

55वीं वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुन: नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

निदेशक का नाम	श्री एम.नागराज, निदेशक(कॉर्पोरेट प्लानिंग)	श्री कांतीलाल चतुरभाई पटेल,(गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक)	श्रीमती सबिथा बोजन,(गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक)	डॉ. रविन्द्र कुमार राय, (गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक)	श्री सोलोमन अरोकियाराज, (अंश-कालिक सरकारी निदेशक)
डीआईएन	05184848	06610367	09398364	09394495	06802660
जन्म तिथि	23-07-1967	23-10-1959	30-05-1978	02-05-1958	12-06-1973
आयु	58 वर्ष	65 वर्ष	47 वर्ष	67 वर्ष	52 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	01. 02 .2019	28 04 2025	28 04 2025	29.05.2025	29.10.2024

निदेशकों से परस्पर संबंधों का प्रकटन	कंपनी के किसी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कर्मी से कोई संबंध नहीं है	कंपनी के किसी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधन कर्मी से कोई संबंध नहीं है	कंपनी के किसी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधन कर्मी से कोई संबंध नहीं है	कंपनी के किसी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधन कर्मी से कोई संबंध नहीं है	कंपनी के किसी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधन कर्मी से कोई संबंध नहीं है
लाभार्थी स्वामी के रूप में सूचीबद्ध संस्थाओं में शेयरधारिता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शैक्षिक योग्यताएं	लागत लेखाकार संस्थान, भारत, कंपनी सचिव संस्थान, भारत का सदस्य, वित्त और सीएआईआईबी में विशेषज्ञता के साथ एमबीए	वाणिज्य और विधि स्नातक	समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर , मानव संसाधन में एमबीए और सहकारिता में डिप्लोमा	सेंट कोलम्बिया कॉलेज, हजारीबाग से स्नातक, रांची विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि और विनोबा भावे विश्वविदयालय,झारखण्ड से इतिहास में डॉक्टोरेट/पीएचडी	कृषि में स्नातक डिग्री और टीएनएयू से बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री
नियुक्ति की निबंधन और शर्तें और	भारत के राष्ट्रपति द्वारा	भारत के राष्ट्रपति द्वारा	भारत के राष्ट्रपति द्वारा	भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथाअनुमोदित	भारत के राष्ट्रपति द्वारा

भुगतान किए जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक	यथाअनुमोदित नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें और देय पारिश्रमिक	यथाअनुमोदित नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें और देय पारिश्रमिक	यथाअनुमोदित नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें और देय पारिश्रमिक	नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें और देय पारिश्रमिक	यथाअनुमोदित नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें और देय पारिश्रमिक
संक्षिप्त परिचय/ कौशल और क्षमताएं/विशेष कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव।	श्री एम. नागराज के पास आवास आधारभूत संररचना के संबंध में वित्त, सामाजिक क्षेत्र में कौशल विकास और माइक्रो फाइनेंस और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में **34** वर्ष का अत्यधिक अनुभव है, साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए प्रबंधकीय	श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्हें लगभग 41 वर्षों का अच्छा अनुभव है। उन्होंने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रुप में भी कार्य किया है।	श्रीमती सबिथा बोजन को कॉर्पोरेट शिक्षा और प्रबंधन के क्षेत्र में 18 साल से अधिक का अनुभव है। इस अवधि में उन्होंने भिन्न-भिन्न संस्थानों में राज्य और क्षेत्रीय प्रधान के रुप में	डॉ. रविंद्र कुमार राय को झारखंड की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रुप पर तीन दशक से अधिक पढ़ाने का अनुभव है। डॉ. राय एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे भारत की संसद, 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, इससे पहले वे दो बार बिहार और झारखंड विधानसभा के सदस्य रहे और झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रहे।	श्री सोलोमन अरोकियाराज 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अभी, वे वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव (वि.मं.) के पद पर हैं। इस पदस्थापना से पहले, वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव

	क्षमताओं और ई-गवर्नेंस में उनकी आधारभूत समझ भी अच्छी है। हडको में निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने वाणिज्य एवं उदयोग मंत्रालय के अंतर्गत पीईजी लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। वे समाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी		अहम पद संभाले हैं। कवि और लेखिका भी है। तमिल भाषा में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु सरकार ने "तमिज़ चेम्मल" स्टेट अवॉर्ड (2019) प्रदान किया। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वह कई एनजीओ के साथ मिलकर युवाओं, महिलाओं और		के पद पर थे। उन्होंने कई दूसरे कार्यभार भी संभाले, जैसे सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग (आंध्र प्रदेश), परियोजना निदेशक, आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और सीईओ , सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ़ रूरल पॉवर्टी। उन्होंने अनंतपुर,

	फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में प्रबंध निदेशक भी थे। उससे पहले, वे आईआईएफ सीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में निदेशक और वित्त मंत्रालय के अंतग्रत आईआईएम सीएल में महाप्रबंधक भी थे, जहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट फाइनेंस, विशेषरुप से आईआई एफसीएल की टेक-आउट फाइनेंस स्कीम, बोर्ड सचिवालय, सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप, व्यापार		आदिवासियों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियों में संलिप्त रहीं।		विशाखापत्तनम और चित्तूर जिलों के जिला समाहर्ता और जिलाधीश के रुप में भी कार्य किया है।

	विकास, आदि जैसे कार्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण किया।				
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या	**13/13**	लागू नहीं**	9/9***	6/9***	4/6
हडको के अतिरिक्त, सूचीबद्ध संस्थाएँ जिनमें व्यक्ति निदेशक पद पर है	शून्य **(**श्री एम. नागराज हडको के अतिरिक्त दो अन्य गैर-सूचीबद्ध कंपनियों, अर्थात् बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, में	शून्य (श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल हडको के अतिरिक्त एक अन्य गैर-सूचीबद्ध कंपनी, केएलआई एम एस्टेट ओनर्स एसोसिएशन में निदेशक पद पर	शून्य (श्रीमती सबिथा बोजन हडको के अतिरिक्त तीन अन्य कंपनियों में निदेशक पद पर हैं: इंटीग्रेटेड फैसिलिटी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, सयवा फूड्स	शून्य	शून्य (श्री सोलोमन अरोकियाराज हडको के अतिरिक्त तीन अन्य कंपनियों में निदेशक हैं: एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, आंध्र प्रदेश महिला साधिकार संस्था और

	निदेशक हैं।)	हैं।)	प्राइवेट लिमिटेड और यूनिवर्सल फ्यूल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।)		सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।)
31.03.2025 तक हडको के अतिरिक्त सभी सार्वजनिक कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता*	नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड: लेखा परीक्षा समिति: सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं से इस्तीफा दिया गया उनका विवरण	-	-	-	-	-

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम *2015* के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति और स्टेकहोल्डर संबंध समिति की सदस्यता पर ही विचार किया गया है।

- श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल को *28* अप्रैल, *2025* से कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (अपर निदेशक) के रुप में नियुक्त किया गया था।

** श्रीमती सबिथा बोजन और डॉ. रविन्द्र कुमार राय को प्रारंभ में *22* नवंबर, *2021* से तीन वर्ष के लिए हडको के बोर्ड में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किया गया था। दोनों *** निदेशकों का कार्यकाल *21* नवंबर, *2024* को पूरा हो गया था। इसलिए, तालिका में दी गई बैठकों की संख्या उनके पिछले कार्यकाल के अनुसार है।